दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

जनवरी भाग-1
2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **4**

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: महत्त्व और चुनौतियाँ 4
- प्रवासी श्रमिक और शहरी आवास 6
- जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन का दोहन 8
- भारत निर्वाचन आयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना 10

आर्थिक घटनाक्रम **13**

- ग्रहीय दबाव के साथ मानव विकास 13

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **16**

- सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता 16
- चीनी अतिक्रमण, भारतीय प्रस्ताव 18
- यूरेशिया के लिये रणनीति 19

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **22**

- भारत में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पारितंत्र 22

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **25**

- पश्चिमी घाट: महत्त्व और संरक्षण 25
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन: महत्त्व और चुनौतियाँ 27

सामाजिक न्याय **30**

- NFHS 5: एक महिला केंद्रित विश्लेषण 30
- विवाह हेतु कानूनी आयु में बढ़ोतरी 32

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

वर्ष 2017 के आरंभ में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) शुरू की गई थी जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिये 5,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य स्वस्थ में सुधार लाना और गर्भवती महिलाओं की मज़दूरी में क्षति (विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में) की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है।

हालाँकि योजना का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जो इस दिशा में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के वर्तमान परिदृश्य में जहाँ 260 लाख महिलाओं को (जो भारत में प्रतिवर्ष औसतन एक बच्चे को जन्म देती हैं) आर्थिक आघात सहना पड़ा है।

भारत में मातृ स्वास्थ्य देखभाल और PMMVY

- मातृ स्वास्थ्य देखभाल: भारत विश्व में कुल प्रसव के पाँचवें भाग की हिस्सेदारी रखता है, जहाँ प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 113 की मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) विद्यमान है।
  - वर्ष 2020 में अप्रैल और जून के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2019 की इसी अवधि की तुलना में निम्नलिखित परिदृश्य उत्पन्न हुए:
    - चार या अधिक प्रसव-पूर्व जाँच सेवा प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में 27% की गिरावट आई।
    - संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries) में 28% की गिरावट।
    - प्रसव-पूर्व सेवाओं में 22% की गिरावट।
  - मातृ स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पहलों में शामिल हैं:
    - लक्ष्य कार्यक्रम (LaQshya program)।
    - सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन-SUMAN) पहल।
    - जननी सुरक्षा योजना।
    - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)।
    - पोषण अभियान।
    - मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड।
    - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)।
- PMMVY के VISHAY विषय में: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  - लाभार्थियों में वे सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ (PW&LM) शामिल हैं, जो केंद्र/राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोज़गार में संलग्न नहीं हैं या समय विशेष के लिये प्रवर्तित किसी कानून के तहत सदृश लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं।
  - अपनी शुरुआत से लेकर अब तक PMMVY ने राष्ट्रीय स्तर पर 2.01 करोड़ महिलाओं को कवर किया है और कुल 8,722 करोड़ रुपए का वितरण किया है।

नोट :

- संबंधित राज्य-विशिष्ट योजनाएँ: ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने क्रमशः ममता (2011), केसीआर किट (2017) और डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना (MRMBS) के रूप में अपेक्षाकृत अधिक कवरेज और उच्च मातृत्व लाभ के साथ राज्य-विशिष्ट मातृत्व लाभ योजनाएँ कार्यान्वित की हैं।
  - ओडिशा की ममता (MAMATA) योजना दो जीवित बच्चों तक के लिये मातृत्व लाभ के रूप में 5,000 रुपए का सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।
  - वर्ष 2020-21 के लिये PMMVY और ममता योजना के बीच के एक तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि PMMVY ने कवर किये गए लाभार्थियों की संख्या में 52% की गिरावट के साथ खराब प्रदर्शन किया है, जबकि ममता योजना के अंतर्गत सभी किश्त प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या में 57% वृद्धि हुई है।

PMMVY से संबद्ध समस्याएँ

- अपूर्ण कवरेज़: जबकि भारत में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) की अनुमानित पात्र जनसंख्या 128.7 लाख थी (वर्ष 2017-18), सरकार द्वारा इस योजना के तहत केवल 51.70 लाख लाभार्थियों का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया जो कि पात्र आबादी का केवल 40% है।
  - यह वर्ष 2017 से अब तक कम-से-कम 60% गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना से बाहर करता है, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य तब से अपरिवर्तित ही बना रहा है।
- नामांकन और संवितरण में गिरावट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से पता चलता है कि इस योजना के तहत नामांकन और संवितरण में पिछले दो वर्षों में गिरावट आई है।
  - वर्ष 2020-21 में 50% से अधिक पंजीकृत लाभार्थियों को सभी तीन किश्तें प्राप्त नहीं हुई और योजना के तहत नामांकन में 9% की गिरावट आई।
- बजटीय आवंटन में गिरावट: सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर निरंतर बल देने के बावजूद वर्ष 2021-22 के लिये महिलाओं और बाल विकास हेतु समग्र बजट में 20% की कटौती की गई।
  - इसके अतिरिक्त, PMMVY को सामर्थ्य (SAMARTHYA) योजना के साथ संबद्ध किये जाने से PMMVY के लिये बजट आवंटन में गिरावट आई है।
    - उल्लेखनीय है कि सामर्थ्य योजना का कुल बजट 2,522 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वित्तीय वर्षों में अकेले PMMVY के पास ही लगभग इतना बजट था।
- अपर्याप्त मातृत्व लाभ राशि: अधिकांश महिलाएँ गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद की अवधि में काम करना जारी रखती हैं, क्योंकि वे मज़दूरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान वे फुटकर व्यय (Out-of-Pocket Expenses) का वहन भी करती हैं।
  - एक वर्ष में प्रदान की जाती 5,000 रुपए की धनराशि उनके महज एक माह की मज़दूरी क्षति के बराबर है (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अनुरूप 202 रुपए प्रतिदिन मज़दूरी दर के आधार पर)।
- कार्यान्वयन अंतराल: PMMVY में कार्यान्वयन अंतराल (Implementation Gaps) कवरेज की कमी की ओर ले जाते हैं।
  - ये अंतराल लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी और प्रक्रिया स्तर की चुनौतियों से उत्पन्न हुए हैं।

आगे की राह

- मातृत्व लाभ का विस्तार: सरकार को PMMVY योजना के तहत प्रदत्त मातृत्व लाभ को दूसरे जीवित जन्म तक विस्तारित करने पर विचार करना चाहिये।
  - विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिये मातृत्व लाभ कवर के अंतर्गत दूसरे जीवित जन्म को शामिल करना अनिवार्य है जो प्रत्येक प्रसव के दौरान आर्थिक आघात और पोषण हानि के प्रति अधिक सुभेद्य होती हैं।
- मातृत्व लाभ राशि में वृद्धि करना: चूँकि PMMVY का प्राथमिक उद्देश्य मज़दूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है, अतः योजना के तहत दी जाने वाली मातृत्व लाभ राशि की पर्याप्तता पर पुनर्विचार करना उपयुक्त होगा।

नोट :

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (जो महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य बनाता है) की भावनाओं के अनुरूप और मनरेगा के तहत निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर PW&LM के लिये 15,000 की राशि (12 सप्ताह की मज़दूरी क्षतिपूर्ति के बराबर) देय होनी चाहिये।

- राज्यों से सीखना: ओडिशा की ममता (MAMATA) जैसी योजना मातृत्व लाभ कार्यक्रम के समावेशी और कुशल कार्यान्वयन की मिसाल प्रस्तुत करती है जिससे केंद्र सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिये और ममता योजना की तर्ज पर PMMVY में आवश्यक सुधार लाना चाहिये।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाना: वर्तमान पंजीकरण फॉर्म के लिये मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (MPC Card), पति के आधार कार्ड, बैंक पासबुक और तीन किस्तों में से प्रत्येक के लिये पंजीकरण फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, जिससे देरी, अस्वीकृति या विलंबन की समस्या उभरती है।
  - प्रक्रिया के सरलीकरण के परिणामस्वरूप लाभार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

- मातृ स्वास्थ्य में सुधार के सतत् विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना (POSHAN) अभियान और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना केंद्र द्वारा की गई आशाजनक पहल है।
- लेकिन लक्ष्य तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब हम योजना के डिज़ाइन और कार्यान्वयन पर पुनर्विचार करें और ओडिशा जैसे राज्यों से सबक लें जो व्यावहारिक रूप से मातृ स्वास्थ्य और पोषण को सफलतापूर्वक प्राथमिकता दे रहे हैं।

प्रवासी श्रमिक और शहरी आवास

संदर्भ

भारत में शहरीकरण और शहरों के विस्तार के साथ-साथ आधारभूत संरचना और आवास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर दबाव की वृद्धि भी हुई है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के सर्वाधिक शिकार प्रवासी श्रमिक हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने शहरी निर्धनों/प्रवासी श्रमिकों के बदतर आवास परिदृश्य को और बिगाड़ दिया है। ये सभी चुनौतियाँ प्रत्यक्ष रूप से एक ठोस नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं जिसे मानवाधिकारों, संपत्ति अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक विकास के नज़रिये से भी देखा जाना चाहिये। ये नीतिगत पहल सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 8.8 के अनुरूप होनी चाहिये, जो सभी श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासियों के लिये एक सुरक्षित और निश्चित कार्य वातावरण प्रदान करने की अपेक्षा रखता है।

शहरी आवास और प्रवासी श्रमिक

- बेघर शहरी परिवार: भारत की जनगणना (वर्ष 2011) से पता चलता है कि देश की शहरी आबादी 31.16% है, जहाँ लगभग 4.5 लाख परिवार बेघर हैं और कुल 17.73 लाख आबादी के पास रहने की कोई जगह नहीं है।
  - महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ गंभीर आवास संकट की स्थिति है।
- प्रवासी और शहरी आवास: शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से प्रवासी, बदहाल आश्रय की स्थिति में और अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं।
  - भारत में आधे से अधिक शहरी परिवार एक कमरे में रहते हैं, जहाँ प्रति कमरा औसतन 4.4 व्यक्तियों का निवास है।
  - छोटी इकाइयों, होटलों और घरों में काम करने वाले प्रवासियों के मामले में उनका कार्यस्थल ही उनके ठहरने का स्थान भी है।
    - ऐसे स्थान प्राय: स्वच्छ और पर्याप्त हवादार नहीं होते।
  - अधिकांश निर्माण श्रमिक अस्थायी व्यवस्था में रहते हैं। अनियत श्रमिक पुलों के नीचे और फुटपाथ पर सोते हैं तथा प्राय: अस्वच्छ वातावरण में समूह के रूप में रहते हैं।

नोट :

- श्रमिकों के आवास पर महामारी का प्रभाव: महामारी प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अधिकांश श्रमिक अपने अस्थायी ठिकानों को छोड़ अपने घरों की ओर पलायन करने को विवश हुए और जो बचे रहे उन्होंने भी कार्यस्थलों के बंद होने के कारण अपने आश्रय खो दिये।
  - किराए के घरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिक सामाजिक दूरी का पालन कर सकने में सक्षम नहीं हो सके।
  - उपनगरीय क्षेत्रों में, जहाँ प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या का निवास था, स्थानीय आबादी ने उनके आवासों की अस्वच्छ स्थितियों का हवाला देते हुए उन पर घर खाली करने का दबाव बनाया।
  - भले ही अधिकांश राज्य सरकारों ने मकान मालिकों से दो महीने का किराया माफ करने की अपील की, लेकिन प्रवासी श्रमिकों पर किराया चुकाने का दबाव लगातार बना रहा।
- शहरी आवास के लिये पहल:
  - स्मार्ट सिटीज़ मिशन: स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने भारत की 21% शहरी आबादी को कवर करते हुए 100 शहरों की पहचान की जहाँ चार चरणों में (जनवरी 2016 से शुरू) रूपांतरण किया जाना है।
    - स्मार्ट सिटी में उपलब्ध होने वाली प्रमुख अवसंरचनाओं में उपयुक्त जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और विशेष रूप से गरीबों के लिये किफायती आवास शामिल हैं।
  - अमृत मिशन: वर्ष 2005 में शुरू किये गए 'कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन' (अमृत/AMRUT) जैसे प्रयासों का उद्देश्य शहरीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।
    - इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर जल की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन तक पहुँच रखता हो।
    - यह मिशन अब अपने दूसरे चरण में पहुँच गया है जहाँ लक्ष्य शहरों को जल आपूर्ति के लिये सुरक्षित बनाना और वंचितों के लिये बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है।
  - 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में परिकल्पित ARHCs: मई 2020 में सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में प्रवासी श्रमिकों/शहरी गरीबों के लिये किफायती किराया आवास परिसर (Affordable Rental Housing Complexes- ARHCs) का प्रावधान भी शामिल था।
    - योजना यह है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शहरों में स्थित सरकारी वित्तपोषित आवासों को ARHCs में परिवर्तित किया जाए और विभिन्न हितधारकों को अपनी निजी भूमि पर ARHCs का विकास करने एवं उनका संचालन करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

प्रवासियों के लिये किफायती आवास से संबद्ध समस्याएँ

- आवास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन: सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन की 5,196 परियोजनाओं में से 49%, जिनके लिये भारत के 100 स्मार्ट सिटीज़ में कार्य आदेश जारी किये गए थे, अब तक अपूर्ण हैं।
- कार्यान्वयन में यह कमी नवीन नीतिगत उपायों की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठाती है।
- WASH सुविधाओं का अभाव: आंतरिक श्रमिक प्रवासियों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त जल, साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता (water, sanitation and hygiene- WASH) सुविधाओं की कमी के कारण सम्मानजनक आवास के अभाव की समस्या और बढ़ गई है।
- अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालय: 'स्वच्छ भारत अभियान' के माध्यम से अधिकाधिक सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के बावजूद प्रवासी-सघन संकुलों में उनकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
- किराये में अचानक वृद्धि: प्रवासी श्रमिक मलिन बस्तियों में आवास पाते हैं जो प्राय: किराये में अचानक वृद्धि के अधीन होता है और उसकी पहुँच सबसे बदतर अवसंरचना और सेवाओं तक होती है।

आगे की राह

- आवास क्षेत्र के लिये नीति निर्माण: आवासों की मौजूदा स्थिति राज्य और ठेकेदारों की ओर से आवास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को इंगित करती है। यह अनुबंधों के मामले में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ-साथ आवास क्षेत्र के लिये दीर्घकालिक नीतिनिर्माण और विश्लेषण की माँग रखता है।

नोट :

- एक चरम स्थिति (जहाँ मकान मालिक अचानक किराये में वृद्धि कर देता हो) के बजाय राज्य ऐसी इष्टतम स्थिति सुनिश्चित करे जहाँ किराया आवासों के लिये प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार के आधार पर उभरे।

- मालिक-किरायेदार संघर्षों को कम करना: सामाजिक किराया आवास के विकास के ही साथ-साथ राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन स्थानों का परिवहन तंत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तक उपयुक्त पहुँच हो।
  - आंतरिक श्रम का अध्ययन करने के लिये गठित नीति आयोग के कार्य समूह ने सिफ़ारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में किराये के आवास का विस्तार रैनबसेरा आश्रयों (Dormitory Accommodation) के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है।
    - यह सार्वजनिक आवास को वहनीय बनाएगा और मकान मालिकों एवं किरायेदारों के बीच संघर्ष को कम करेगा।
  - अकेले कार्य-उन्मुख नीतियाँ ही श्रमिक प्रवासियों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं।

- छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे और माध्यम शहरों (non-megacities) में भी अपर्याप्त योजना, गैर-मापनीय आधारभूत संरचना, अवहनीय आवास और बदतर सार्वजनिक परिवहन की स्थिति है।
  - सु-शहरीकरण (Good Urbanisation) सुनिश्चित करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि छोटे एवं मध्यम शहरों पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए और इन शहरों के अपर्याप्त आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्या को संबोधित किया जाए।

जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन का दोहन

संदर्भ

एक राष्ट्र के विकास के लिये समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के उत्पादक योगदान की आवश्यकता होती है, जिन्हें आत्म-अभिव्यक्ति के लिये अवसर प्रदान किया जाना महत्त्वपूर्ण होता है।

बच्चों और युवाओं में पारिवारिक और राष्ट्रीय निवेश आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी (जब तक वे वृद्ध आयु वर्ग में प्रवेश नहीं कर लेते) की ओर से उच्च उत्पादकता के मामले में दीर्घावधिक लाभ पाने का अवसर प्रदान करते हैं।

वर्तमान में भारत की आबादी एक प्रौढ़ विश्व में सबसे युवा आबादी में से एक है, हालाँकि भारत की आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2050 तक प्रौढ़ हो जाएगा। इस परिदृश्य में जनसंख्या गतिशीलता, शिक्षा एवं कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, लिंग संवेदनशीलता को भविष्योन्मुखी नीति में शामिल करने और युवा पीढ़ी को अधिकार एवं विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे भविष्य में देश के आर्थिक विकास में अपनी अधिकतम क्षमता तक योगदान कर सकें।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

- प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव: प्रजनन दर में गिरावट के साथ युवा आबादी की हिस्सेदारी घटती जाती है और यदि यह गिरावट तीव्र हो होती है तो कामकाजी आयु की आबादी में पर्याप्त वृद्धि होती है जिससे 'जनसांख्यिकीय लाभांश' प्राप्त होता है।
  - जनसंख्या में बच्चों की छोटी हिस्सेदारी प्रति बच्चा उच्च निवेश को सक्षम बनाती है। इससे श्रम बल में भविष्य के प्रवेशकों की उत्पादकता बेहतर हो सकती है और इस प्रकार आय में वृद्धि हो सकती है।

- भारत की औसत आयु में वृद्धि: घटते प्रजनन दर (वर्तमान में 2.0) के साथ भारत की औसत/मध्यम आयु (Median Age) वर्ष 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर अब 29 वर्ष हो गई है और वर्ष 2036 तक इसके 36 वर्ष हो जाने का अनुमान है।
  - 'निर्भरता अनुपात' (Dependency Ratio) में गिरावट—जहाँ इसके अगले दशक में 65% से घटकर 54% होने का अनुमान है (15-59 आयु वर्ग को कामकाजी आयु आबादी मानते हुए), के साथ भारत एक जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन (Demographic Transition) के मध्य में है।

- जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन का GDP पर प्रभाव: भारत का जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन तीव्र आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है।
  - हालाँकि भारत में जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन से सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त लाभ एशिया के अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कम रहा है और यह अभी से ही संकुचित होता जा रहा है।

नोट :

- सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य विकल्पों के मामले में युवाओं को सशक्त बनाने के लिये दूरंदेशी नीतियों को अपनाया है और असाधारण आर्थिक विकास प्राप्त किया है।

◆ यह उपयुक्त नीतिगत उपाय करने की तात्कालिकता की ओर इंगित करता है।

- भारतीय राज्यों में अलग-अलग परिदृश्य: जबकि भारत एक युवा देश है, जनसंख्या की आयु में वृद्धि की स्थिति और गति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन के विषय में उन्नत दक्षिणी राज्यों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक हो चुका है।

◆ जबकि केरल की जनसंख्या प्रौढ़ होती जा रही है, बिहार में कामकाजी आयु वर्ग के वर्ष 2051 तक वृद्धि करने का अनुमान किया गया है।

- वर्ष 2031 तक 22 प्रमुख राज्यों में से 11 में हमारी विशाल कामकाजी आयु आबादी का समग्र आकार घट चुका होगा।

◆ आयु संरचना में अंतर विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में अंतर को दर्शाता है।

युवा क्षमता के दोहन के मार्ग की बाधाएँ

- भारत में निम्न प्रति व्यक्ति उपभोग और व्यय की स्थिति: भारत में एक बच्चा 20 से 64 आयु वर्ग के वयस्क द्वारा किये जाने वाले उपभोग का लगभग 60% उपभोग करता है, जबकि इसकी तुलना में चीन में एक बच्चे का उपभोग लगभग 85% है।

◆ एशिया में भारत निजी और सार्वजनिक मानव पूंजी व्यय के मामले में अत्यंत पिछड़ा हुआ है।

- भारत का स्वास्थ्य व्यय भी उसकी आर्थिक वृद्धि के साथ सामंजस्य नहीं रखता। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर ही स्थिर बना हुआ है।

- उपयुक्त नीतियों के अभाव का प्रभाव: उपयुक्त नीतियों के अभाव में कामकाजी आयु आबादी में वृद्धि से बेरोज़गारी बढ़ सकती है जो आर्थिक एवं सामाजिक जोखिम बढ़ा सकते हैं।

◆ भारत पहले से ही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बदतर कार्यान्वयन का शिकार है।

- अपूर्ण शैक्षिक आवश्यकताएँ: शिक्षा में लैंगिक असमानता चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में बालिकाओं की तुलना में बालक माध्यमिक और तृतीयक स्तर के विद्यालयों में नामांकित होने की अधिक संभावना रखते हैं।

◆ तुलनात्मक रूप से फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में विलोम स्थिति है, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में लिंग अंतर बेहद कम है।

- कौशल उन्नयन का अभाव: यूनिसेफ की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कम-से-कम 47% भारतीय युवा उस शिक्षा और कौशल प्राप्ति की राह पर नहीं हैं जो वर्ष 2030 में रोज़गार पाने के लिये आवश्यक होंगे।

◆ जबकि भारत के 95% से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं, NFHSs इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बदतर बुनियादी ढाँचे, बच्चों में कुपोषण और विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी ने सीखने की क्षमता या 'लर्निंग आउटकम' को प्रभावित किया है।

आगे की राह

- शिक्षा मानकों का उन्नयन: ग्रामीण या शहरी स्थिति से परे सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करे और बाज़ार की मांग के अनुरूप उपयुक्त कौशल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए।

◆ स्कूल के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ (MOOCS) के साथ वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने के लिये नई प्रौद्योगिकी का उपयोग और ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ में निवेश से उच्च शिक्षित कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

- स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना: भारत में वृद्धों की आबादी वर्ष 2011 में 8.6% से दोगुनी होकर वर्ष 2040 में 16% हो जाने का अनुमान है। यह सभी प्रमुख राज्यों सहित भारत में अस्पताल बिस्तरों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को तेज़ी से कम करेगा, यदि स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के माध्यम से इन कमज़ोरियों को संबोधित नहीं किया जाएगा।

◆ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अधिक वित्तपोषण के साथ-साथ उपलब्ध वित्त से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है; साथ ही, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से सुलभ बनाया जाना चाहिये।

नोट :

- कार्यबल में लैंगिक अंतर को दूर करना: 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी के लिये नए कौशलों एवं अवसरों की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
  - जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य जेंडर बजटिंग करना
  - बाल देखभाल लाभ की वृद्धि करना
  - अंशकालिक कार्य के लिये कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देना
- विविध राज्यों के लिये संघीय दृष्टिकोण: जनसांख्यिकीय लाभांश हेतु शासनिक सुधारों के लिये एक नए संघीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होगी ताकि प्रवासन, प्रौढ़ आयु वृद्धि, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण जैसे उभरते हुए विभिन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर राज्यों के बीच नीति समन्वय स्थापित किया जा सके।
  - इस व्यवस्था में रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिये अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर विशेष ध्यान देना होगा।
- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: किशोरों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए बेहतर अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है।
  - उदाहरण के लिये, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन इस बात का साक्ष्य है कि किस प्रकार बेहतर पोषण बेहतर लर्निंग आउटकम का सृजन करता है। विभिन्न अध्ययनों ने पुष्टि की है किशोरों में पोषण और संज्ञानात्मक उपलब्धि के बीच मज़बूत संबंध पाए जाते हैं।
    - किशोरों के समक्ष विद्यमान संकट से निपटने के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर समाधानों और वृहत क्षमताओं को सक्षम कर सकता है।
  - स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय आपसी समन्वय से महत्त्वपूर्ण सूचना का प्रसार कर सकते हैं जो किशोरों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा और सीखने की क्षमता के संबंध में सहायता देगा।

निष्कर्ष

पथ-प्रदर्शक नवाचार की संभावना से परिपूर्ण भारत के युवा देश के विकास के लिये एक वृहत अवसर प्रदान करते हैं। इस परिदृश्य का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम होने के लिये नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे मानव विकास और जीवन स्तर की वृद्धि पर लक्षित सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करें और इस तेज़ी से विकास करते राष्ट्र के दूरस्थ कोनों तक पहुँच सकें।

भारत निर्वाचन आयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परिकल्पना भारतीय संविधान में निहित समता, न्याय, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने और चुनावी शासन के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के संबंध में विधि के शासन का पालन कराने वाले निकाय के रूप में की गई है।

इसकी स्थापना विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेहिता, स्वायत्तता और पेशेवर दक्षता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए चुनाव आयोजित कराने के लिये की गई थी।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में ECI को चुनावी शासन में इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता और इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कई आरोपों का सामना करना पड़ा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ECI के बेहतर कार्यकरण के लिये इसके सदस्यों की नियुक्ति में एक अधिक पारदर्शी एवं स्वतंत्र तरीका अपनाए जाने की आवश्यकता है जो कार्यपालिका की किसी प्रभावी भागीदारीपूर्ण भूमिका से भी मुक्त हो।

भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का भाग XV निर्वाचन से संबंधित है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - संविधान में निहित अनुच्छेद 324-329 में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।

नोट :

- सांविधिक प्रावधान: मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के अधिनियमन के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
  - आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और दो निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं।
- संसद की भूमिका: ECI के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है।
  - हालाँकि, अनुच्छेद 324 (2) में प्रावधान किया गया है कि संसद निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम के निर्माण की शक्ति रखती है।
- निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें: वर्ष 1975 में, न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
  - वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति और वर्ष 2015 में विधि आयोग ने भी यही सिफारिश की।
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARCs) की चौथी रिपोर्ट (2007) ने इसके अतिरिक्त यह सिफारिश की कि विधि मंत्री और राज्य सभा के उपसभापति को भी ऐसे नियुक्ति करने वाले ऐसे कॉलेजियम में शामिल किया जाए।

संबद्ध समस्याएँ

- विधि अधिनियमन में संसद की विफलता: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विधि निर्माण के लिये संसद उत्तरदायी है।
  - लेकिन वर्ष 1989 में एक विधि के निर्माण (जिसके माध्यम से निर्वाचन आयुक्तों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई) के अलावा संसद ने अब तक नियुक्ति प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
- नियुक्ति के लिये कार्यपालिका पर अत्यधिक निर्भरता: निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच एक अर्द्ध-न्यायिक भूमिका का निर्वहन भी करता है। इस परिदृश्य में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका को एकमात्र भागीदार नहीं होना चाहिये।
  - केंद्र द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किये जाने का वर्तमान अभ्यास अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 324(2) और लोकतंत्र का संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लंघन करता है।

आगे की राह

- बहु-संस्थागत समिति: चूँकि भारत निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की इमारत को संभाले रखने वाला मेहराब का पत्थर है, निर्वाचन आयुक्तों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन के लिये एक बहु-संस्थागत, द्विदलीय समिति की स्थापना से ECI की कथित और वास्तविक स्वतंत्रता की अभिवृद्धि की जा सकती है।
  - निर्वाचन आयोग के कार्यों की अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति इसे विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया कठोर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।
  - मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक जैसे प्राधिकारों की नियुक्ति के संबंध में ऐसी प्रक्रिया पहले से मौजूद भी है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें: इसने सिफारिश की है कि भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम होना चाहिये जो राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ भेजता हो।
  - अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015) मामले ने भी निर्वाचन आयोग के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली की माँग को बल दिया था।
  - मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक पीठ ने भी इस बात का संज्ञान लिया था कि निर्वाचन आयुक्त देश भर में चुनावों का अधीक्षण एवं आयोजन करते हैं और उनका चयन अधिकतम पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिये।
- संसद की भूमिका: संसद आगे बढ़ते हुए और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिये एक बहु-संस्थागत, द्विदलीय कॉलेजियम की स्थापना करने वाली विधि का निर्माण कर न्यायिक गुण-दोष व्याख्या (Judicial Strictures) की स्थिति से बचने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नोट :

- ECI की स्वतंत्रता के मुद्दे पर संसद में बहस एवं चर्चा की आवश्यकता है और इसके उपरांत आवश्यक कानून पारित किये जाने चाहिये।
- शक्तियों का पृथक्करण दुनिया भर की सरकारों के लिये स्वर्ण मानक है और भारत को भी इस मानक पर पीछे नहीं रहना चाहिये।

निष्कर्ष

ECI के संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता है जो निंदा से परे हो और यही भारतीय राजनीति के इस महत्त्वपूर्ण स्तंभ में लोगों के भरोसे की पुष्टि करेगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मौजूदा आवरण पर्याप्त रूप से उस ढाँचे को ही कमज़ोर करता है जिस पर भारत की लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ टिकी हुई हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

ग्रहीय दबाव के साथ मानव विकास

मानव-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन पृथ्वी प्रणाली की दीर्घकालिक गतिशीलता को अपरिवर्तनीय रूप से अस्थिर कर सकता है, और इस प्रकार ग्रह की जीवन-सहायक प्रणाली बाधित हो सकती है। इसलिये, पर्यावरण को अब मानव विकास की माप के लिये एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) की वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report- HDI) ने ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures-adjusted Human Development Index- PHDI) का प्रस्ताव रखा है। ग्रहीय सीमा की अवधारणा (concept of the planetary boundary) वर्ष 2009 में स्टॉकहोम रेज़िलियेंस सेंटर के जे. रॉकस्ट्रॉम (J. Rockström) के नेतृत्व में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा पेश की गई थी।

ग्रहीय दबाव समायोजित HDI

- परिचय: PHDI मानक HDI को देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति 'मटेरियल फुटप्रिंट' स्तर से समायोजित करता है।
  - PHDI का उद्देश्य वृहत समाज को वैश्विक संसाधन उपयोग और पर्यावरण प्रबंधन में मौजूदा अभ्यासों को जारी रखने में शामिल जोखिम और विकास पर पर्यावरणीय तनाव (environmental stress) द्वारा बनाए रखने वाले मंदकारी प्रभाव से अवगत कराना है।
  - यह विकसित देशों द्वारा उत्पन्न ग्रहीय दबाव की प्रकृति को संक्षेप में सामने लाता है और परोक्ष रूप से स्थिति का मुकाबला करने में उनकी ज़िम्मेदारी को इंगित करता है।
- वैश्विक औसत HDI में गिरावट: जब ग्रहीय दबाव को समायोजित किया गया तो वर्ष 2019 में HDI का वैश्विक औसत 0.737 से घटकर 0.683 रह गया।
  - यह समायोजन प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन (उत्पादन) और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट को ध्यान में रखकर किया गया।
  - औसत प्रति व्यक्ति वैश्विक CO_2 उत्सर्जन (उत्पादन) 4.6 टन है और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट 12.3 टन है।
- देशों पर व्यक्तिगत प्रभाव: ग्रहीय दबाव के समायोजन के साथ कई देशों की वैश्विक रैंकिंग को सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों में परिवर्तित किया गया।
  - उच्च मानव विकास वाले देशों के समूह में स्विट्ज़रलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विश्व रैंकिंग में ग्रहीय दबाव के समायोजन के बाद कोई अंतर नहीं आया।
    - हालाँकि आवश्यक समायोजन के बाद उसका HDI मान 0.955 से घटकर 0.825 रह गया।
  - 66 अत्यंत उच्च मानव विकास वाले (Very High HD) देशों में से 30 देशों के रैंक मान में गिरावट आई जो जर्मनी एवं मोंटेनेग्रो के लिये माइनस 1 से लेकर लक्ज़मबर्ग के लिये से माइनस 131 तक के रेंज में विस्तृत है।
    - HDI में शीर्ष स्थान पर रहने वाला नॉर्वे 15 स्थान नीचे लुढ़क गया जबकि अमेरिका (17) एवं कनाडा (16) क्रमश: 45 और 40 स्थान नीचे और चीन (85) 16 स्थान नीचे खिसक गया।
  - भारत की बात करें तो औसत 2.0 टन प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन (उत्पादन) और 4.6 टन मटेरियल फुटप्रिंट के साथ 0.645 HDI के मुकाबले उसका PHDI 0.626 है।
    - भारत ने वैश्विक रैंकिंग में आठ अंकों (HDI के तहत 131वीं रैंक और PHDI के तहत 123वीं रैंक) की बढ़त हासिल की, और इसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (उत्पादन) और मटेरियल फुटप्रिंट वैश्विक औसत से पर्याप्त नीचे है।

नोट :

भारत के लिये चुनौतियाँ

- पर्यावरणीय चिंता का अभाव: भारत के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुशलता से बहुत दूर है, पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही हैं और परिणामों पर मामूली चिंता रखते हुए प्रकृति पर हमला बेरोकटोक जारी है, जैसा कि विभिन्न कार्यान्वित और प्रस्तावित परियोजनाओं से स्पष्ट है।
- उच्च बहुआयामी गरीबी दर: भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) के अंतर्गत 27.9% लोग शामिल हैं (केरल में 1.10% से लेकर बिहार में 52.50% तक) और उनमें से एक बड़ा वर्ग अपनी जीविका के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।
  - पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना बेहद कठिन है जबकि भारत मानव विकास के अधिकाधिक प्राथमिक संकेतकों में पहले से ही कमतर प्रदर्शन कर रहा है।
- उपेक्षित विषय: मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में व्यक्त गरीबी उन्मूलन एवं पर्यावरण सुरक्षा की दोहरी चुनौतियाँ अभी भी उपेक्षित बनी हुई हैं और उन्हें संबोधित नहीं किया जा रहा है।
  - पचास वर्ष बीत चुके हैं लेकिन परिदृश्य में मामूली बदलाव ही आया है। वास्तव में स्थिति अब और अधिक जटिल हो गई है।
- स्टैंडअलोन कार्रवाइयों की अपर्याप्तता: उत्तराखंड में 'चिपको आंदोलन' और केरल में 'साइलेंट वैली आंदोलन' भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक रहे हैं, जिन्होंने पिछले पाँच दशकों के दौरान ऐसे कई अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया है।
  - लेकिन एंथ्रोपोसिन युग (पृथ्वी के इतिहास में सबसे हाल की अवधि जब मानव गतिविधियों का ग्रह की जलवायु एवं पारिस्थितिक तंत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने लगा) में आगे बढ़ने के लिये ऐसी पर्यावरणीय सुरक्षा कार्रवाइयाँ पर्याप्त नहीं हैं।

आगे की राह

- पर्यावरणीय और सामाजिक विकास को आपस में जोड़ना: अब यह बात अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि सामाजिक प्रक्रियाओं सहित पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं की अन्योन्याश्रताएँ हैं और उनके संबंध गैर-रैखिक एवं द्वंद्वात्मक हैं।
  - इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों सहित मानव विकास को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संयुक्त करने और प्रकृति-आधारित समाधानों (जहाँ लोगों को केंद्र में रखा जाता है) के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित जीवमंडल का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- स्थानीय स्तर की भागीदारी: अब लोगों और ग्रह को एक परस्पर संबद्ध सामाजिक-पारिस्थितिक तंत्र का अंग मानने पर विचार करना आवश्यक है।
  - सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को अब अलग-अलग संबोधित नहीं किया जा सकता है; इसके लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।
  - इसे स्थानीय स्तर पर अभिकल्पित और संबोधित किया जा सकता है, जिसके लिये भारत के पास 73वें और 74वें संशोधन के रूप में संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं।
- सरकार, संस्थानों और प्रौद्योगिकी का एक सहयोगात्मक प्रयास: रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) की सक्षम प्रौद्योगिकी के साथ-साथ पृथ्वी प्रणाली विज्ञान एवं संवहनीयता अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति ने ज़मीनी स्तर पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के दस्तावेज़ीकरण एवं वर्णन में मदद की है और प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों को शामिल करते हुए नए अंत:विषयक कार्यों को प्रोत्साहित किया है।
  - वे इन प्रभावों को कम करने और जीवन को बेहतर बनाने के संबंध में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं।
  - अब नियोजन प्रक्रिया का पुनर्विन्यास, एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण का अंगीकरण, उचित संस्थागत व्यवस्था के लिये एक योजना और पर्यावरणीय तनाव को कुशलतापूर्वक संबोधित करने हेतु राजनीतिक निर्णयों को सक्षम करने वाले कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- HDR रिपोर्ट की सिफारिशें: वर्ष 2020 की HDI रिपोर्ट सामूहिक परिवर्तन के लिये तीन तंत्रों की रूपरेखा प्रदान करती है:
  - सामाजिक मानदंड और मूल्य: चूँकि विश्व अपनी एजेंसी के विस्तार और मानव विकास के माध्यम से लोगों के सशक्तीकरण की इच्छा रखता है, उसे नए मानदंड भी स्थापित करने चाहिये जो ग्रहीय संतुलन एवं संवहनीयता को अधिकाधिक महत्त्व दें।

नोट :

- प्रोत्साहन और नियमन: प्रोत्साहन और विनियमों का उपयोग कार्रवाई को बढ़ावा देने या रोकने के लिये किया जा सकता है, जो व्यवहार और मूल्यों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं।
- प्रकृति-आधारित समाधान: ये पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, संवहनीय प्रबंधन और पुनर्स्थापना को बल देने वाली कार्रवाइयों के सृजन एवं समर्थन के माध्यम से मानव विकास और ग्रहों के स्वास्थ्य के बीच एक सुदृढ़ चक्र (virtuous cycle) का निर्माण कर सकते हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council- UNSC) की स्थापना विश्व युद्ध काल में की गई थी। यह संगठन अपने पाँच स्थायी सदस्य देशों (P-5) को, जो उस काल के दौरान सर्वोच्च शक्तियों के रूप में उभरे थे, अत्यधिक और विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि तत्कालीन वास्तविकताएँ वर्तमान समय के लिये पूर्णरूपेण अतुलनीय बन गई हैं।

लंबे समय से 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' की स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यता दोनों के विस्तार की मांग की जा रही है, ताकि इसे समकालीन वैश्विक परिस्थितियों का प्रतिनिधि बनाया जा सके।

लेकिन इस दिशा में सुरक्षा परिषद ने कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। इसके मूल अस्तित्व के उद्देश्य को साकार कर सकने की इसकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस संदर्भ में भारत—जो वर्तमान में UNSC की अपनी अस्थायी सदस्यता के दो वर्षों के कार्यकाल के दूसरे वर्ष में है, सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ी और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के अधिदेश के साथ कार्यरत 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' को वैश्विक बहुपक्षीयता का केंद्र माना जाता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UN Secretary-General) का चयन करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ निकटस्थ भूमिका निभाता है।
    - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत अंगीकार किये जाने वाले इसके सभी संकल्प सदस्य देशों के लिये बाध्यकारी होते हैं।
  - UNSC 15 सदस्यों से मिलकर बना है- 5 स्थायी और 10 अस्थायी।
    - पाँच स्थायी सदस्य: चीन, फ्राँस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
    - दस अस्थायी सदस्य: अस्थायी सदस्य देश महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं।
- भारत की सदस्यता: भारत ने पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में सात बार सेवा दी है और जनवरी 2021 में इसे आठवीं बार इसका सदस्य चुना गया है।
  - भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है।

भारत का योगदान:

- भारत ने वर्ष 1947-48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) के निर्माण में सक्रिय भाग लिया था और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध मुखरता से अपना पक्ष सामने रखा था।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को शामिल किये जाने, मध्य-पूर्व में घातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे विभिन्न विषयों पर निर्णयन प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिये वृहत योगदान किया है।
  - भारत ने 43 शांति अभियानों (Peacekeeping Missions) में भाग लिया है, जिसमें 160,000 से अधिक सैनिकों और उल्लेखनीय संख्या में भारतीय पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
  - अगस्त 2017 तक की स्थिति के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्त्ता बना हुआ है।

नोट :

- भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत एवं वर्तमान में जारी योगदान को देखते हुए सुरक्षा परिषद ने भारत की स्थायी सदस्यता की मांग पूर्णत: तर्कसंगत नज़र आती है।

सुरक्षा परिषद के कार्यकलाप से संबद्ध समस्याएँ

- बैठकों के रिकॉर्ड और टेक्स्ट की अनुपलब्धता:सुरक्षा परिषद में प्रगति की वर्तमान दर इसके अस्तित्व के उद्देश्य की पूर्ति कर सकने की क्षमता के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती है।
  - संयुक्त राष्ट्र के आम नियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विचार-विमर्श प्रक्रिया पर लागू नहीं होते और बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।
  - इसके अतिरिक्त,वार्ता, संशोधन या आपत्ति के लिये बैठक का कोई टेक्स्ट या पाठ उपलब्ध नहीं है।
    - 'टेक्स्ट' (Text) औपचारिक दस्तावेज़ के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसमें राजनयिक बैठकों में प्रस्ताव और विकल्प दर्ज किये जाते हैं।
- सुरक्षा परिषद में 'पावरप्ले': वर्तमान प्रणाली के साथ मुख्य समस्या यह है कि कुछ देशों के अभिजात समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधों की शासन क्षमता पर नियंत्रण कर लिया गया है।
  - UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्तियों का उपभोग वर्तमान समय के अनुरूप 'कालभ्रम' (Anachronism) की स्थिति है।
    - निर्णय लेने की अभिजात संरचना वर्तमान वैश्विक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
  - सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों और गतिशीलता को समझ सकने के लिये बाधाकारी हो गया है।
- 'P5' के बीच मतभेद: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के भीतर एक गहरे ध्रुवीकरण की स्थिति मौजूद है, इसलिये निर्णय या तो लिये नहीं जाते, या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता।
  - P-5 देशों के बीच बार-बार उत्पन्न मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध कर देते हैं।
  - इन समस्याओं को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के उदाहरण में देखा जा सकता है, जहाँ संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संक्रमण के प्रसार से निपटने में देशों को सहयोग देने के मामले में कोई प्रभावी भूमिका निभा सकने में विफल रहे।
- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाला संगठन: सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से अपनी अप्रतिनिधित्व प्रकृति के कारण ही विश्वसनीयता के साथ कार्य करने में असमर्थ रहा है।
  - भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्त्वपूर्ण देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनुपस्थिति चिंता का विषय है।
  - विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामले में मौजूदा अंतराल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को नियंत्रित कर सकने वाली वैश्विक संस्था के रूप में पंगु बना रहा है।

आगे की राह

- सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण: P5 और शेष विश्व के बीच शक्ति संबंधों में असंतुलन को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।
  - UNSC को अधिक लोकतांत्रिक बनाना और इसे शासन के लिये अधिक वैधता प्रदान करना आवश्यक है , जहाँ यह सुनिश्चित हो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के सिद्धांतों का वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है।
- UNSC का विस्तार: विश्व शांति और सुरक्षा के लिये वैश्विक शासन की मौजूदा आवश्यकताएँ अतीत की तुलना में व्यापक रूप से अलग हैं और इसलिये UNSC के शासन तंत्र में उल्लेखनीय सुधारों की आवश्यकता है।
  - स्थायी और अस्थायी सीटों में विस्तार के माध्यम से सुरक्षा परिषद में सुधार लाना अपरिहार्य है ताकि संयुक्त राष्ट्र का यह अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समक्ष दिनानुदिन उभरती नई और जटिल चुनौतियों को बेहतर तरीके से संबोधित कर सके।

नोट :

- न्यायसंगत प्रतिनिधित्व: UNSC में सभी भू-भागों का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व राष्ट्रों पर इसकी शासी शक्ति और अधिकार के विकेंद्रीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह परिवर्तन सभी भू-भागों के राष्ट्रों को उनके देशों में शांति और लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली चिंताओं को इस मंच के समक्ष उठा सकने का समान अवसर प्रदान करेगा।
  - UNSC की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण एक अधिक प्रतिनिधिक और सहभागी निकाय के रूप में इसके परिवर्तन को सक्षम करेगा।
- भारत की भूमिका- गैर-स्थायी सदस्यता का लाभ उठाना: वर्तमान में सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों में से एक के रूप में भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये प्रस्तावों की एक व्यापक शृंखला का मसौदा तैयार करने के साथ आगे कदम बढ़ा सकता है।
  - समान विचारधारा वाले देशों (जैसे G4: भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील) से अधिकाधिक संपर्क और पक्ष में अधिकाधिक देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र आमसभा के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है जहाँ मतदान में जीतने का वास्तविक अवसर उत्पन्न होगा।
  - भारत को 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) के अपने पारंपरिक भागीदारों के साथ, UNSC में इस भूभाग की शांति और सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करते हुए अपनी संलग्नताओं और संबंध को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है।
    - इस संदर्भ में, वैश्विक दक्षिण के दो उप-समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वर्ष 2022 भारत की UNSC की आठवीं अस्थायी सदस्यता का दूसरा और अंतिम वर्ष होगा। यह कार्यकाल विशेष रूप से तब सफल माना जाएगा, जब UNSC में सुधार के लिये एक अधिक सार्थक एवं यथार्थवादी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। एक उभरते हुए देश के प्रभाव और शक्ति का इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता।

चीनी अतिक्रमण, भारतीय प्रस्ताव

संदर्भ

चीन ने हाल ही अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नया नामकरण किया है और इस क्षेत्र पर कथित रूप से अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक अधिकार होने का दावा करते हुए इस कदम को सही ठहराया है। इसके अलावा 1 जनवरी, 2022 से चीन का नया भूमि सीमा कानून प्रभावी हो गया है जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को "आक्रमण, अतिक्रमण, घुसपैठ, उकसावे" के विरुद्ध कदम उठाने और चीनी क्षेत्र की रक्षा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपता है। इसके साथ ही चीन द्वारा पैंगोंग त्सो झील पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है जबकि इस क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता रहा है। ये सभी घटनाक्रम पहले से ही बदतर संबंध के और बिगड़ने के संकेत देते हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में कहा कि बीजिंग का यह कदम इस तथ्य को नहीं बदलता कि अरुणाचल प्रदेश (जो स्वयं नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पुनर्नामकरण है, जो कि वर्ष 1971 में इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाने के अवसर पर किया गया था) भारत का अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में यह अनिवार्य है कि भारत और चीन एक प्रभावी सैन्य वापसी प्रक्रिया शुरू करें तथा एक समृद्ध 'एशियाई सदी' के विकास के लिये सीमा संघर्ष की समस्या को दूर करें।

पैंगोंग त्सो झील

पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake) लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। यह लगभग 4,350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊँची खारे पानी की झील है। लगभग 160 किमी. क्षेत्र में विस्तृत पैंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत के नियंत्रण में है जबकि शेष दो-तिहाई हिस्से पर चीन का नियंत्रण है।

संबद्ध समस्याएँ

- युद्ध की संभावना: भारत-चीन के बीच आक्रामक सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन की कूटसंधि तीन परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच एक युद्ध को जन्म दे सकता है।

नोट :

- व्यापार पर प्रभाव: दोनों देशों के बीच लगातार विवाद दोनों देशों के आर्थिक व्यापार एवं कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं जो दोनों विकासशील देशों के लिये अच्छा नहीं है।
- आर्थिक बाधाएँ: क्षमता निर्माण पर भी एक गंभीर बहस की आवश्यकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि देश की आर्थिक स्थिति निकट भविष्य में रक्षा बजट में किसी उल्लेखनीय वृद्धि का अवसर नहीं देगी।

सैन्य वापसी प्रक्रिया से संबद्ध समस्याएँ

- पिछले वर्ष की घटनाओं ने एक भारी अविश्वास की स्थिति का निर्माण किया है जो एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर चीन की कार्रवाइयाँ हमेशा ही उसकी प्रतिबद्धताओं से मेल खाती नज़र नहीं आतीं।
  - चीन की क्षेत्रीय विस्तार की नीति का भारत आलोचना करता रहा है।
- इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता और 'क्वाड' सुरक्षा वार्ता को लेकर चीन चिंता दर्शाता रहता है।
- सीमा क्षेत्र की विवादित प्रकृति और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी के कारण 'नो पेट्रोलिंग' ज़ोन में किसी भी कथित उल्लंघन के घातक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में देखा गया था।

आगे की राह

- दोनों पक्षों को भारत-चीन संबंधों के विकास के लिये वुहान और महाबलीपुरम शिखर सम्मेलन से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिये, जहाँ मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने का दृष्टिकोण शामिल था।
- सीमा पर तैनात सैन्य बलों को संवाद जारी रखना चाहिये एवं त्वरित रूप से सैन्य वापसी की राह पर बढ़ना चाहिये, उचित दूरी बनाए रखते हुए और तनाव कम करना चाहिये।
- चीन-भारत सीमा मामलों पर दोनों पक्षों को सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिये और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिये जिससे तनाव बढ़ सकता है।
- विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद और सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिये कार्यतंत्र की बैठकों का आयोजन जारी रखना चाहिए।
  - 'सीमा संबंधी प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधिमंडल' (Special Representatives on the Boundary Question) वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह किसी चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- इसके साथ ही नए विश्वास-बहाली उपायों के लिये समवेत प्रयास करना होगा।

यूरेशिया के लिये रणनीति

संदर्भ

वर्ष 2021 ईरान के परमाणु मसले, तेल एवं गैस की कीमतों में उछाल, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान में गहराते संकट और अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य बल वापसी के साथ तालिबान के पुन: सत्ता में लौट आने से संबंधित दुर्भाग्यजनक घटनाओं का वर्ष रहा। ये सभी घटनाक्रम भारत के महाद्वीपीय सुरक्षा हितों के लिये अत्यधिक चिंता के विषय हैं। भारत की महाद्वीपीय रणनीति, जिसमें मध्य एशियाई क्षेत्र एक अनिवार्य कड़ी है, पिछले दो दशकों में धीरे-धीरे कर आगे बढ़ी है, जहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि, भारत के 'सॉफ्ट पावर' के प्रसार और व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे क्षेत्रों में भारत ने दाँव आजमाए। यह प्रशंसनीय है लेकिन जैसा कि अब स्पष्ट है, यह इस भूभाग में व्याप्त व्यापक भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये पर्याप्त नहीं है। महाद्वीपीय और समुद्री सुरक्षा के बीच सही संतुलन का निर्माण करना भारत के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों के लिये सबसे अधिक आश्वस्तिकारक होगा।

यूरेशिया में भू-राजनीतिक परिवर्तन

- हाल के घटनाक्रम: चीन का मुखर उदय, अफगानिस्तान से अमेरिकी एवं नाटो सैन्य बलों की वापसी, इस्लामी कट्टरपंथी शक्तियों का उदय और रूस की ऐतिहासिक रूप से स्थिरताकारी भूमिका के कारण बदलती गतिशीलता (हाल ही में कज़ाखस्तान में)—इन सभी घटनाक्रमों ने यूरेशियाई भू-भाग में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तेज़ होने के लिये मंच तैयार कर दिया है।

नोट :

- यह भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा चीन एवं अन्य बड़ी शक्तियों द्वारा प्रभुत्व प्रदर्शन के रूप में संसाधनों और भौगोलिक पहुँच के शस्त्रीकरण द्वारा चिह्नित होती है।

- यूरेशियाई भू-राजनीति में रूस की केंद्रीयता: बेलारूस, यूक्रेन, काकेशस और कज़ाखस्तान में विद्यमान संकटों में से प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट तर्क और प्रक्षेपवक्र हो सकता है लेकिन संयुक्त रूप से वे यूरेशिया की भू-राजनीति को पुन: आकार दे रहे हैं।
  - यूरेशिया में अपने वृहत भौगोलिक विस्तार के साथ रूस इस पुनर्गठन के केंद्र में है।
  - कज़ाखस्तान में मास्को का सैन्य हस्तक्षेप और यूरोप की सुरक्षा पर अमेरिका के साथ इसकी हाल की वार्ता यूरेशिया में रूस की केंद्रीयता को रेखांकित करती है।
- चीन का बढ़ता हस्तक्षेप: सैन्य हस्तक्षेप एवं शक्ति प्रक्षेपण की चीनी इच्छा और क्षमता इसके निकटवर्ती भू-भाग से अब बहुत आगे बढ़ रही है।
  - चीन का प्रमुख शक्ति के रूप में न केवल समुद्री क्षेत्र में उभार हो रहा है, बल्कि वह निम्नलिखित क़दमों के माध्यम से यूरेशियाई महाद्वीप पर भी अपना विस्तार कर रहा है:
    - मध्य एशिया में बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) परियोजनाएँ मध्य एवं पूर्वी यूरोप और काकेशस तक विस्तृत हो रही हैं जो पारंपरिक रूसी प्रभाव को कम कर रही हैं
    - ऊर्जा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करना।
    - निर्भरता पैदा करने वाले निवेश।
    - साइबर और डिजिटल पैठ, और
    - पूरे महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग के बीच प्रभाव का विस्तार करना।
- अमेरिकी प्रभाव में गिरावट: हालाँकि महाद्वीपीय परिधि पर अमेरिका की पर्याप्त सैन्य उपस्थिति बनी हुई है, परंतु मुख्य यूरेशियाई भूभाग पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर्याप्त कम हो गई है।
  - जबकि वर्ष 1992 में यूरोपीय कमान के तहत अमेरिका के 2,65,000 से अधिक सैनिक तैनात थे, अब उनकी संख्या 65,000 ही रह गई है।
  - आजकल 'इंडो-पैसिफिक कमान' के रूप में ज्ञात क्षेत्र में अमेरिका के 1990 के दशक के आरंभ में लगभग 1,00,000 सैनिक थे, जहाँ चीन की सैन्य शक्ति के उभार के बाद भी वर्तमान में लगभग 90,000 सैनिक ही हैं, जो प्राय: जापान और दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय रक्षा के लिये प्रतिबद्ध हैं।
  - हालाँकि इस क्षेत्र में अमेरिका एक पूर्व-प्रतिष्ठित नौसैनिक शक्ति है, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, अपनी स्वयं की शक्ति के आलोक में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- स्थल क्षेत्र पर सीमित प्रभाव: अमेरिका, जो यूरेशिया में भारतीय स्थिति की सुदृढ़ता के लिये एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तो एक शक्तिशाली पक्ष रखता है लेकिन इसने स्थल क्षेत्र पर तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव छोड़ा है।
  - समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक शक्ति के संबद्ध आयाम राज्य नीति के पर्याप्त साधन नहीं हैं क्योंकि भारत चीन की एकतरफा कार्रवाइयों और एकध्रुवीय एशिया के उद्भव के विरुद्ध स्वयं को मज़बूत करने के लिये राजनयिक और सुरक्षा निर्माण की इच्छा रखता है।
- भारत की सीमा और कनेक्टिविटी की समस्याएँ: पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर लगातार खतरे की स्थिति ने भारत की सुरक्षा के एक कठिन महाद्वीपीय आयाम हेतु मंच तैयार किया। पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं के सैन्यीकरण की वृद्धि हुई है।
  - भारत पाँच दशकों से अधिक समय से पाकिस्तान द्वारा थल प्रतिबंध (land embargo) का शिकार बना रहा है जो तकनीकी रूप से युद्ध में संलग्न नहीं रहे दो राज्यों के बीच के अजीब प्रकार के संबंध परिदृश्य को प्रकट करता है।
    - यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के विपरीत शत्रु पड़ोसी राज्य द्वारा पहुँच को लगातार अवरुद्ध रखा जा रहा हो तो कनेक्टिविटी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

नोट :

आगे की राह

- मध्य एशिया यूरेशिया की कुंजी है: चीनी समुद्री विस्तारवादी लाभ के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण करना अपेक्षाकृत आसान है और इसके लाभ को उस दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ की तुलना में उलटना आसान है जिसे चीन महाद्वीपीय यूरेशिया में सुरक्षित करने की आशा रखता है।
  - जिस प्रकार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की केंद्रीयता इंडो-पैसिफिक की कुंजी है, मध्य एशियाई राज्यों की केंद्रीयता यूरेशिया के लिये महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये।
- कनेक्टिविटी की समस्याओं को हल करना: यह बात अजीब लग सकती है कि भारत समुद्री क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करने में अमेरिका और अन्य देशों के साथ खड़ा होता है , वह उसी बल के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और पारगमन के लिये भारत के अधिकार की माँग नहीं करता—चाहे यह पाकिस्तान द्वारा मध्य एशिया की ओर पारगमन पर लगाए अवरोध के संदर्भ में हो या ईरान के रास्ते यूरेशिया में पारगमन पर अमेरिकी प्रतिबंध को हटाने के संदर्भ में।
  - अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों के साथ यूरेशिया के साथ भारत के भौतिक संपर्क की चुनौतियाँ और भी गंभीर हो गई हैं।
  - कनेक्टिविटी के मामले में यूरेशियाई महाद्वीप में भारत के वंचना की स्थिति को पलट दिये जाने की आवश्यकता है।
- महाद्वीपीय और समुद्री हित सुनिश्चित करना: यह बेहद स्पष्ट है कि भारत के पास एक देश की तुलना में दूसरे देश को चुनने जैसा अवसर नहीं होगा, इसलिये उसे समुद्री क्षेत्र में अपने हितों की अनदेखी किये बिना महाद्वीपीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक रणनीतिक दृष्टि प्राप्त करनी होगी और आवश्यक संसाधनों की तैनाती करनी होगी।
  - इसके लिये महाद्वीपीय अधिकारों (पारगमन और पहुँच) हेतु अधिक मुखर प्रयास, मध्य एशिया के भागीदारों और ईरान एवं रूस के साथ अधिकाधिक सहयोग तथा शंघाई सहयोग संगठन (SCO), यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) एवं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) के आर्थिक एवं सुरक्षा एजेंडों के साथ अधिक सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

भारत को अपने हितों के अनुरूप महाद्वीपीय और समुद्री सुरक्षा के अपने मानकों को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने में निहित रणनीतिक स्वायत्तता भारत की कूटनीति और राज्य नीति को निकट और दूर भविष्य के कठिन परिदृश्य से आगे बढ़ने में मदद करेगी।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पारितंत्र

संदर्भ

पिछले 20 वर्षों में सबसे विस्मयकारी प्रौद्योगिकीय विकासों में से एक दुनिया भर में 'फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' (FOSS) का तीव्रता से विकास हो रहा है।

अधिकांश डिजिटल अनुभव आज 'फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' द्वारा संचालित हैं और भारत का 85% से अधिक इंटरनेट FOSS पर ही सक्रिय है। न्यायालय, IRCTC और भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रमुख संस्थान परिचालन स्तर की वृद्धि और लाखों लोगों को समयबद्ध कुशल डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के लिये FOSS पर ही निर्भर हैं।

FOSS प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करता है और संगठनों को प्रतिभा के वैश्विक पूल तथा सुरक्षित, विश्वसनीय एवं स्केलेबल सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवश्यक उपकरणों तक पहुँच प्रदान कर तीव्र नवाचार को सक्षम बनाता है।

फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना भारत के राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि यह भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगा।

फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स

- परिचय: FOSS का अर्थ यह नहीं है कि सॉफ्टवेयर नि:शुल्क उपलब्ध है। 'फ्री' शब्द इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के संबंध में कोई बाधा नहीं है।
  - इसका अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सभी के लिये खुला/ओपन है और कोई भी कोड का उपयोग, अध्ययन और संशोधन करने के लिये स्वतंत्र है।
  - यह अन्य लोगों को भी एक समुदाय की तरह सॉफ्टवेयर के विकास और सुधार में योगदान करने की अनुमति देता है।
  - FOSS को फ्री/लिबरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FLOSS) के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
  - FOSS के उदाहरणों में MySQL, Firefox, Linux आदि शामिल हैं।
- FOSS का महत्त्व: FOSS वर्तमान में व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है।
  - प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर के विपरीत सभी को ओपन-सोर्स कोड को संपादित करने, संशोधित करने और पुन: उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है।
  - इसके परिणामस्वरूप कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लागत में कमी, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, स्थानीय संदर्भ के लिये अनुकूलित करने की क्षमता और व्यापक सहयोग के माध्यम से वृहत नवाचार।
  - विभिन्न FOSS समुदाय, डेटा गोपनीयता सिद्धांतों के पालन के लिये ओपन-सोर्स कोड की जाँच कर सकते हैं, बग्स (Bugs) खोजने में मदद कर सकते हैं और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।
- भारत और FOSS:
  - आरंभिक प्रयास: सरकारों द्वारा ओपन सोर्स को बढ़ावा देने के आरंभिक प्रयासों में अधिकांशत: लिनक्स-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को अपनाना शामिल था।
    - हालाँकि, यह विफल रहा क्योंकि सरकारें निगमों या ओपन-सोर्स समुदायों की तुलना में बेहतर उपभोक्ता उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकीं।

नोट :

- FOSS डेवलपर्स का वर्तमान परिदृश्य: भारतीय डेवलपर्स इस पारितंत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहें हैं। 'GitHub' के अनुसार, वर्ष 2021 में इसके 73 मिलियन उपयोगकर्त्ताओं में से 7.2 मिलियन से अधिक भारत से थे, जो भारत को चीन (7.6 मिलियन) और अमेरिका (13.5 मिलियन) के बाद तीसरे स्थान पर रखता है।
  - लेकिन भारतीय डेवलपर बेस का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जहाँ वर्ष 2020-21 में चीन में 16% और अमेरिका में 22% की तुलना में यह लगभग 40% रहा।
  - 'GitHub' का अनुमान है कि वर्ष 2023 इस प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन भारतीय डेवलपर्स हो जाएंगे।
  - लाखों भारतीय डेवलपर्स वैश्विक ओपन-सोर्स इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं जो एक अच्छा संकेत है और यह उच्च-प्रौद्योगिकी भू-राजनीति में भारत के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ का स्रोत बन सकता है।
- संबंधित पहल: अप्रैल 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) को अपनाने में तेज़ी लाने के लिये '#FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज' की घोषणा की थी।
  - यह सरकारी प्रौद्योगिकियों (GovTech) में प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिये FOSS समुदाय और स्टार्ट-अप्स की नवाचार क्षमता का उपयोग करेगा।
  - यह 'GovTech 3.0' का एक प्रमुख घटक है, जो सुरक्षित एवं समावेशी ओपन डिजिटल इकोसिस्टम (ODEs) के निर्माण से संबंधित है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- भारत में घरेलू FOSS नवाचारों की कमी: मज़बूत खपत के बावजूद, भारत संवहनीय घरेलू FOSS नवाचारों के निर्माण में वैश्विक स्तर पर बहुत पीछे है।
  - भारत से पर्याप्त FOSS योगदान की कमी के परिणामस्वरूप ही देश के सॉफ्टवेयर पारितंत्र में भारत की विविध भाषाओं, सांस्कृतिक संदर्भों और जीवित अनुभवों के प्रतिनिधित्व का अभाव है।
  - ये कारक नए इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के लिये डिजिटल अंगीकरण को बाधित करते हैं।
- FOSS के विषय में भ्रांतियाँ: FOSS में प्राय: 'फ्री' को 'मुफ्त' मान लिया जाता जाता है और इसलिये कई लोग सोचते हैं कि FOSS पर आधारित समाधान पर्याप्त नहीं हैं।
  - उदाहरण के लिये, FOSS को प्राय: कम भरोसेमंद और अधिक असुरक्षित माना जाता है, जबकि वास्तव में यह सरकार और नागरिकों के बीच अधिक भरोसे का निर्माण कर सकता है।
- FOSS में जवाबदेही का अभाव: एक और महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि किसी प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर विक्रेता से निपटना प्राय: आसान नज़र आता है और उसे किसी भी विफलता के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  - FOSS के मामले में एक स्पष्ट 'ओनर' (Owner) की अनुपस्थिति होती है, जिससे यह चिह्नित करना कठिन हो जाता है कि उत्तरदायी कौन है।
- संचालन संबंधी कमियाँ: ओपन-सोर्स घटकों का उपयोग बहुत सारे अतिरिक्त कार्य का सृजन कर सकता है।
  - इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन से घटक उपयोग किये जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर का कौन-सा संस्करण प्रयुक्त है और वे उपयोग में आने वाले अन्य घटकों के साथ किस प्रकार अंत:क्रिया कर सकते हैं।
- बौद्धिक संपदा संबंधी समस्याएँ: वर्तमान में 200 से अधिक प्रकार के लाइसेंस मौजूद हैं, जिन्हें ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर लागू किया जा सकता है।
  - इनमें से कई लाइसेंस एक-दूसरे के साथ असंगत हैं, जिसका अर्थ यह है कि कुछ घटकों का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय सभी शर्तों का पालन करना होता है।
  - जितने अधिक घटकों का उपयोग किया जाता है, सभी लाइसेंस शर्तों को ट्रैक करना और उनकी तुलना करना उतना ही कठिन होता जाता है।

नोट :

आगे की राह

- 'GovTech' में FOSS: पहला कदम सरकार में FOSS को बढ़ावा देना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के संबंध में सरकार के लिये आवश्यक है कि वह सभी तकनीकी आपूर्तिकर्त्ता ओपन सोर्स विकल्पों के साथ बोलियाँ (Bids) जमा करना अनिवार्य बनाए।
  - RFPs (Request for Proposals) में मूल्यांकन मानदंड में FOSS-विशिष्ट मेट्रिक्स को औपचारिक रूप से अधिक वेटेज देकर और FOSS पहलों को तैनात करने वाले विभागों को मान्यता प्रदान कर (जैसे डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत इसके लिये एक विशेष श्रेणी बना दी जाए) यह नीतिगत ढाँचा एक और कदम आगे बढ़ेगा।
- राष्ट्रीय हित में ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी: भारत को अपनी स्वतंत्र प्रौद्योगिकीय शक्ति को अधिकतम करना चाहिये। वास्तव में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अर्थशास्त्र और उसकी राजनीति को देखते हुए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर भारत के राष्ट्रीय हित में है।
  - हर चीज़ की पुनर्रचना और स्थानीयकरण पर बल देने के माध्यम से प्रौद्योगिकीय संप्रभुता पाने के प्रयास की तुलना में ओपन-सोर्स परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक उत्पादक होगा।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों (और उनके पीछे की सरकारों) पर निर्भरता को कम करने का एक भरोसेमंद उपाय होगा।
- ओपन-सोर्स अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: भारत को अब ओपन-सोर्स अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के निर्माण में अधिक निवेश हेतु डेवलपर्स एवं फर्मों के पक्ष में प्रोत्साहन सृजन के लिये विभिन्न नीतिगत उपाय आगे बढ़ाने होंगे।
  - इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी डेवलपर्स और फर्म के सृजन पर लक्षित होना चाहिये जो प्रौद्यिगिकी पारितंत्र में महत्त्वपूर्ण नोड का रूप ग्रहण करेंगे।
  - महामारी बाद के विश्व में गिग इकोनॉमी का आकार बढ़ेगा और इसलिये इस क्षेत्र में योगदान कर सकने के लिये इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका: इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने छात्रों को ओपन सोर्स परियोजनाओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - एक स्वस्थ ओपन-सोर्स इकोसिस्टम सुनिश्चित करना वास्तव में एक बड़े आईटी उद्योग वाले देश के लिये सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय है।
  - यदि ओपन-सोर्स परियोजनाओं के लिये समर्थन को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रतिबद्धताओं की संतुष्टि के रूप में मान्यता दी जाती है तो और अधिक डेवलपर्स इनकी ओर आकर्षित होंगे।
    - यह विश्व के सूचना अवसंरचना के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखने के लिये कुछ ही व्यक्तियों पर निर्भरता की संभावना को कम करेगा।
- FOSS उत्कृष्टता केंद्र: भारत में FOSS के नेतृत्व वाले नवाचार के लिये एक विश्वसनीय संस्थागत सहारे की भी ज़रूरत है जो पूरे भारत में फैले FOSS नेतृत्वकर्त्ताओं और समुदायों को एक साथ ला सके।
  - केरल का 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' (ICFOSS) एक ऐसा ही संस्थान है जिसके कारण केरल FOSS को अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य बन गया है।
  - एक राष्ट्रीय 'FOSS उत्कृष्टता केंद्र' पूंजी, संसाधन और क्षमता-निर्माण समर्थन जुटाने में मदद कर सकता है, जिससे विश्वस्तरीय 'मेड-इन-इंडिया' FOSS उत्पादों के निर्माण के लिये अत्यंत आवश्यक गति पैदा हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत 'GovTech' में FOSS के अधिकाधिक अंगीकरण की दिशा में अपनी यात्रा के एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। चार मिलियन से अधिक कर्मियों के आईटी कार्यबल और दुनिया के लिये बेहद आकर्षक एक सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ भारत के पास पहले से ही आवश्यक प्रतिभा मौजूद है और आवश्यकता यह है कि FOSS के सबसे बड़े वादे, यानी सहयोगात्मक प्रौद्योगिकीय नवाचार की संभावना, का लाभ उठाने के लिये ठोस प्रयास किया जाए।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

पश्चिमी घाट: महत्त्व और संरक्षण

संदर्भ

विभिन्न अध्ययनों और IPCC रिपोर्टों के आधार पर जलवायु संकट और चरम मौसमी घटनाओं (जैसे बादल फटना और फ्लैश फ्लड) के बीच की कड़ी को अब अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

अंधाधुंध निर्माण और भूमि उपयोग ने इन सभी प्रभावों को और अधिक बढ़ा दिया है; विशेष रूप से पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ये प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं।

किंतु विज्ञानसम्मत साक्ष्यों के बावजूद पश्चिमी घाट क्षेत्र, विशेष रूप से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग के बाबत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उपेक्षापूर्ण ही बनी रही हैं।

पश्चिमी घाट

- परिचय: पश्चिमी घाट पहाड़ों की एक शृंखला से मिलकर बना है जो भारत के पश्चिमी तट (Western Coast) के समानांतर विस्तृत है और केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों से होकर गुज़रता है।
- महत्त्व:
  - पश्चिमी घाट भारतीय मानसून के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित हैं।
  - वे दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा-युक्त मानसूनी हवाओं के लिये एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
  - पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का निवास स्थान भी हैं।
- पश्चिमी घाट पर मंडराते खतरे:
  - विकास-संबंधी दबाव: कृषि विस्तार और पशुधन चराई के साथ-साथ शहरीकरण इस क्षेत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है।
    - पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगभग 50 मिलियन लोग वास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विकास-संबंधी दबाव का निर्माण होता है जो परिमाण में विश्व भर के कई संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है।
  - जैव विविधता संबंधी समस्याएँ: वन क्षति, पर्यावास विखंडन, आक्रामक पादप प्रजातियों द्वारा पर्यावास क्षरण, अतिक्रमण और भूदृश्य रूपांतरण भी पश्चिमी घाट को प्रभावित कर रहे हैं।
    - पश्चिमी घाट में विकास के दबाव के कारण होने वाले विखंडन से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव गलियारों और उपयुक्त पर्यावासों की उपलब्धता कम हो रही है।
  - जलवायु परिवर्तन: बीते कुछ वर्षों में जलवायु संकट की गति तेज़ हुई है:
    - पिछले चार वर्षों (2018-21) में बाढ़ ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों को तीन बार तबाह किया है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और आधारभूत संरचना एवं आजीविका को भारी आघात लगा।
    - वर्ष 2021 में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने कोंकण के घाट क्षेत्रों में तबाही मचाई।
    - अरब सागर के गर्म होने के साथ चक्रवातों की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है, जिससे पश्चिमी तट विशेष रूप से सुभेद्य होते जा रहे हैं।
  - औद्योगीकरण संबंधी खतरे: पश्चिमी घाट के संबंध में एक सुविचारित ESA नीति के अभाव में इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रदूषणकारी उद्योगों, खदानों एवं खानों, सड़कों और टाउनशिप की योजना बनाई जा सकती है।
    - इसका आशय है कि भविष्य में इस क्षेत्र के नाज़ुक भूदृश्य को और अधिक क्षति पहुँचेगी।

नोट :

- पश्चिमी घाट संबंधी समितियाँ:
  - गाडगिल समिति (2011): आधिकारिक तौर पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) के रूप में ज्ञात गाडगिल समिति ने समस्त पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (Ecological Sensitive Areas- ESA) घोषित करने की अनुशंसा की थी, जहाँ केवल कुछ चिह्नित क्षेत्रों में सीमित विकास की ही अनुमति हो।
  - कस्तूरीरंगन समिति (2013): इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखने का प्रस्ताव किया।
    - कस्तूरीरंगन समिति ने सिफारिश की कि पश्चिमी घाट के समस्त भाग के बजाय कुल क्षेत्रफल के केवल 37% को ESA के दायरे में लाया जाना चाहिये और ESA में खनन, उत्खनन, रेत खनन जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
- पश्चिमी घाट ESA घोषणा में प्रक्रियात्मक विलंब:
  - केंद्र ने वर्ष 2011 से 'पश्चिमी घाट ESA अधिसूचना' को लंबित बनाए रखा है।
    - कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के बाद से चार मसौदा अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया।
  - अभी हाल में केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट ESA अधिसूचना 2018 के मसौदे को अधिसूचित किये जाने की समय-सीमा को 30 जून, 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है।
    - जबकि छह महीने का यह विस्तार असंगत नज़र आ सकता है, पश्चिमी घाट ESA नीति का कार्यान्वयन अब 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित रहने की सीमा को पार कर गया है।
  - यद्यपि केंद्र सरकार का इरादा पर्वत शृंखला क्षेत्र के लगभग 37% भाग में औद्योगिक और विकास-संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित या नियंत्रित करना है, विभिन्न पश्चिमी घाट राज्य ऐसी कई बाधाओं का विरोध कर रहे हैं।

आगे की राह

- निवारक दृष्टिकोण: सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करने और देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाने वाले जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नाज़ुक व संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना विवेकपूर्ण होगा।
  - यह पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिये धन/संसाधनों के व्यय की तुलना में आपदाओं की संभावना वाली स्थिति पर खर्च के दृष्टिकोण से अधिक लागत-प्रभावी होगा।
  - इस प्रकार, कार्यान्वयन में और देरी से देश के सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का क्षरण और प्रबल ही होगा।
- सभी हितधारकों को संलग्न करना: वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक उपयुक्त विश्लेषण के साथ संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर मंडराते खतरों और मांगों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्हें संबोधित करने के लिये रणनीति (संलग्न अधिकारियों के स्पष्ट घोषित उद्देश्यों के साथ) रणनीति तैयार की जानी चाहिये।
- स्थानीय लोगों की चिंताओं को संबोधित करना: तर्क दिया जाता है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में गतिविधियों को सीमित और नियंत्रित करने का विचार स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों और उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं के विरुद्ध है।
  - किंतु, संभव है कि बहुत से स्थानीय लोग अवगत ही नहीं हों कि ESA में क्या प्रावधान किये गए हैं; क्या यह क्षेत्र में विकास को पटरी से उतार देगा और विकास के अन्य वैकल्पिक मॉडल कौन से हैं।
  - इस विषय पर विस्तृत सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से चर्चा की जा सकती है ताकि यह भ्रम न बने कि नीति 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण की शिकार है।
- राज्य सरकारों की भूमिका: राज्यों को पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के खतरों को चिह्नित करना चाहिये, विशेषकर जब भारत जलवायु संकट का खामियाज़ा भुगत रहा है।
  - उन्हें यह समझना होगा कि जलवायु संकट एक वास्तविकता है और मूल्यवान पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये निर्णयकारी प्रक्रिया को टालते रहने के बजाय उन्हें अधिकाधिक निर्णायक जलवायु-सिद्धकारी कार्रवाइयों पर आगे बढ़ना चाहिये।

नोट :

- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना: WGEEP ने इस बात पर बल दिया था कि वे ज़मीनी स्तर के लोग हैं जिनके पास ज्ञान है और जो पर्यावरण से जुड़े हैं और उनके पास ही इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये प्रेरणा मौजूद होनी चाहिये।
  - आगे की राह वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामों एवं शहरों में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में निहित है।
  - पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों ने पूर्व में कई प्रगतिशील पहलों (जैसे केरल में पीपल्स प्लानिंग कैम्पेन) को शुरू किया है। संसाधनों के क्षय और दोहन को रोकने के लिये इस तरह के आंदोलनों की भावना को पुनर्बहाल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- पश्चिमी घाटों की रक्षा की आवश्यकता पर कोई दो मत नहीं हैं, लेकिन वनों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है।
- यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि पश्चिमी घाट या किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर केवल हमारा हक नहीं है कि हम उसे नष्ट कर दें। इसे भावी पीढ़ी के लिये सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन: महत्त्व और चुनौतियाँ

संदर्भ

ग्लोबल वार्मिंग, लगातार बाढ़ एवं आग की समस्या, कोविड-19 महामारी और कई अन्य समस्याओं से पीड़ित हमारी पृथ्वी अस्तित्वगत संकट से गुज़र रही है और मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये वैज्ञानिक और अभिनव उपायों की तत्काल आवश्यकता रखती है।

इस संदर्भ में भारत ने UNFCCC के COP-26 में अपनी वर्द्धित जलवायु प्रतिबद्धताओं— 'पंचामृत' की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero Carbon Emission) तक पहुँचने की प्रतिबद्धता शामिल है।

भारत द्वारा शुद्ध-शून्य लक्ष्य की घोषणा करना इस दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है, क्योंकि वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदानकर्त्ताओं में से एक नहीं है, फिर भी एक स्वैच्छिक दायित्व-बोध से आगे बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व के कुल उत्सर्जन का मात्र 4.37% है।

इस घोषणा के बाद वर्ष 2070 के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत को विशेष रूप से एक सुगम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकाधिक अंगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की वृहत भागीदारीता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

शुद्ध-शून्य में भारत का योगदान

- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य लगातार अधिक महत्त्वाकांक्षी होते गए हैं, जहाँ पेरिस में वर्ष 2022 तक 175 GW प्राप्त कर लेने की घोषणा से आगे बढ़ते हुए उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक 450 GW और अब COP26 में वर्ष 2030 तक 500 GW क्षमता प्राप्त कर लेने के लक्ष्य की घोषणा की है।
  - भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य का विस्तार करता है और जिसे पहले ही लगभग हासिल कर लिया गया है।
  - भारत ने 'ग्रे हाइड्रोजन' और 'ग्रीन हाइड्रोजन' के लिये हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान (Hydrogen Energy Mission) की भी घोषणा की है।
  - ऊर्जा दक्षता के मामले में 'कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार' (Perform, Achieve and Trade- PAT) की बाज़ार-आधारित योजना ने अपने पहले और दूसरे चक्र के दौरान 92 मिलियन टन CO_2 समकक्ष उत्सर्जन को कम करने में सफलता पाई है।
- परिवहन क्षेत्र में सुधार: भारत 'FAME' योजना [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles Scheme] के साथ अपने ई-मोबिलिटी रूपांतरण में गति ला रहा है।
  - भारत ने भारत स्टेज- IV (BS-IV) से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंड को 1 अप्रैल, 2020 तक अपनाए जाने की घोषणा की (जिसे मूल रूप से वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था)।

नोट :

- पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिये एक स्वैच्छिक 'व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' अपनाई गई है जो मौजूदा योजनाओं को पूरकता प्रदान करती है।
- भारतीय रेलवे भी इस दिशा आगे बढ़ी है, जहाँ वर्ष 2023 तक सभी ब्रॉड गेज रूट्स के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत का समर्थन: भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक बिक्री किये जाते नए वाहनों के कम-से-कम 30% इलेक्ट्रिक हों।
  - ग्लासगो में आयोजित COP26 में जलवायु परिवर्तन के संबंध में पाँच तत्वों (जिसे 'पंचामृत' नाम दिया दिया है) की भारत द्वारा वकालत इसी दिशा में जताई गई प्रतिबद्धता है।
  - भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिये कई उपाय किये हैं:
    - FAME योजना में सुधार के साथ 'FAME-II' (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles- II) योजना का कार्यान्वयन
    - आपूर्तिकर्त्ता पक्ष हेतु उन्नत रसायन सेल (ACC) के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
    - इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिये हाल ही में शुरू की गई 'ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिये PLI योजना'।
- सरकारी योजनाओं की भूमिका: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 88 करोड़ परिवारों को कोयला-आधारित रसोई ईंधन से LPG गैस कनेक्शन की ओर आगे बढ़ने में मदद की है।
  - उजाला योजना के तहत 367 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किये गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 38.6 मिलियन टन CO_2 की कमी हुई है।
  - इन दो और ऐसी अन्य पहलों ने भारत को वर्ष 2005 और वर्ष 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी लाने में मदद की है।
- निम्न-कार्बन संक्रमण में उद्योगों की भूमिका: भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पहले से ही जलवायु चुनौती से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ ग्राहकों और निवेशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ बढ़ती नियामक और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से सहायता मिल रही है।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय सीमेंट उद्योग ने अग्रणी उपाय किये हैं और विश्व स्तर पर सर्वाधिक क्षेत्रवार निम्न-कार्बन स्तर पर पहुँचने की अभूतपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
  - भारत की जलवायु नीति का इसके निजी क्षेत्र के कार्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ अधिकाधिक तालमेल हुआ है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- नवीकरणीय ऊर्जा की ओर सुगम ट्रांजिशन की बाधाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भूमि की पहचान और भूमि मंज़ूरी की अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाएँ।
  - ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एक बड़े हिस्सा को एकीकृत करना एक अन्य अवरोध है।
  - तथाकथित डीकार्बोनाइज़ेशन हेतु कठिन (Hard to Decarbonize) क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को सक्षम करने में भी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।
- कोयला-संचालित कंपनियों के लिये चुनौतियाँ: सेवा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिये कोयले से गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन/परिवहन की ओर ट्रांजिशन/अवस्थांतर अपेक्षाकृत आसान होता है।
  - लेकिन निम्न-कार्बन ट्रांजिशन की ओर बढ़ना उन कंपनियों के लिये अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है जो बड़े पैमाने पर कोयले से संचालित हैं और देश के आधे से अधिक उत्सर्जन में योगदान करती हैं।
- ईवी विनिर्माण के लिये प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम की कमी: भारत बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग लागत अधिक होती है जिसके लिये उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कौशल विकास के लिये समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव है।

नोट :

- EVs अवस्थांतर से संबद्ध उपभोक्ता संबंधी समस्याएँ: वर्ष 2018 में भारत में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन मौजूद थे, जो पड़ोसी समकक्ष देशों की तुलना में पर्याप्त कम है जहाँ 5 मिलियन से अधिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं।
  - चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिये लंबी दूरी की यात्रा करना अनुपयुक्त हो जाता है।
  - इसके साथ ही, एक आम इलेक्ट्रिक कार की लागत पारंपरिक ईंधन से संचालित कार की औसत कीमत से बहुत अधिक है।

आगे की राह

- नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण: पवन और सूर्य के प्रकाश जैसे स्रोतों की हर जगह चौबीसों घंटे आपूर्ति संभव नहीं है, इसलिये सौर, पवन और हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के विविध ऊर्जा मिश्रण की ओर आगे बढ़ना विवेकपूर्ण होगा।
  - भारत को निकट और तत्काल भविष्य में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश, क्षमता निर्माण और बेहतर ग्रिड एकीकरण जैसे क्षेत्रों में कार्य करना चाहिये।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना: चूँकि उद्योग भी GHG उत्सर्जन में योगदान करते हैं, इसलिये किसी भी जलवायु कार्रवाई को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता होगी।
  - सेवा क्षेत्र में संलग्न कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार कर और आपूर्ति शृंखला भागीदारों के साथ सहयोग कर अपने उत्सर्जन को आसानी से कम कर सकती हैं। वे नवीकरणीय स्रोतों से अपनी 50% बिजली की सोर्सिंग कर कार्बन-तटस्थ बन सकते हैं।
  - कोयला-संचालित कंपनियों के लिये, यह 'ऊर्जा-ट्रांजिशन मूवमेंट' जलवायु प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन: EVs समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने में योगदान करेंगे क्योंकि देश कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है, जिसका मूल्य लगभग 100 बिलियन डॉलर है।
  - EVs की चार्जिंग संबंधी बाधाओं को कम करने के लिये स्थानीय बिजली आपूर्ति तंत्र से बिजली ले सकने वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निजी आवासों, पेट्रोल एवं सीएनजी पंपों जैसे सार्वजनिक उपयोगिताओं और मॉल, रेलवे स्टेशनों एवं बस डिपो जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग सुविधाओं में स्थापित किये जा सकते हैं।
- EVs में R&D को बढ़ावा देना: भारतीय बाज़ार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से भारत के अनुकूल हों।
  - चूँकि कीमतों को कम करने के लिये स्थानीय अनुसंधान एवं विकास में निवेश आवश्यक है, इसलिये स्थानीय विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का सहयोग लेना उपयुक्त होगा।
  - भारत को यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को सुसंगत बनाना चाहिये।

निष्कर्ष

यदि तापमान में वृद्धि को पेरिस समझौते की सीमाओं के भीतर रखना है तो भविष्य के संचयी उत्सर्जन को शेष कार्बन बजट तक सीमित करते हुए वैश्विक शुद्ध-शून्य तक पहुँचने हेतु निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

NFHS 5: एक महिला केंद्रित विश्लेषण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS 5), जो देश के स्वास्थ्य परिदृश्य का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है, ने जनसंख्या स्थिरीकरण, बेहतर परिवार नियोजन सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों के बेहतर वितरण जैसे कई मोर्चों पर उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं।

यद्यपि इसने लिंग-आधारित हिंसा और महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध प्रचलित हानिकारक प्रथाओं (जैसे बाल विवाह और पक्षपातपूर्ण लिंग चयन) को संबोधित करने हेतु आगे और सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है और ये सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 2030 एजेंडा एवं भारत के विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये बाधाकारी हैं।

NFHS 5 के महिला-विशिष्ट निष्कर्ष: सकारात्मक पक्ष

- TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे: भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होती नज़र आ रही है।
  - कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR)—जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या को प्रकट करता है, राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 रह गया है।
  - देश के 31 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों (देश की आबादी का 69.7%) ने 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की प्रजनन दर हासिल कर ली है।
- बेहतर परिवार नियोजन: प्रजनन दर में गिरावट का मुख्य कारण आधुनिक परिवार नियोजन विधियों को अपनाने में हुई वृद्धि (वर्ष 2015-16 में 47.8% से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 56.5%) और इसी अवधि में परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता में आई 4% अंकों की गिरावट है।
- महिला साक्षरता में सुधार: महिला साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार नज़र आया है जहाँ 41% महिलाओं ने (वर्ष 2015-16 में 36% की तुलना में) 10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है।
  - अधिक समय तक शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं में कम बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति देखी गई है और उनके बीच देर से विवाह करने और रोज़गार पाने की संभावना भी अधिक होती है।
- बेहतर मातृ स्वास्थ्य वितरण: मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है।
  - आरंभिक तीन माह में प्रसव-पूर्व देखभाल 11.4% (वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच) की वृद्धि के साथ 70% के स्तर पर पहुँच गया है।
    - अनुशंसित चार प्रसव-पूर्व देखभाल जाँच (Antenatal Care Check-ups) 7% अंक की वृद्धि के साथ 58.1% के स्तर पर पहुँच गई है।
    - प्रसव-उत्तर देखभाल सेवाग्रहण (Postnatal Care Visits) में 15.6% की वृद्धि हुई है और यह 78% तक पहुँच गया है।
  - वर्ष 2019-21 में 88.6% महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव सेवा का उपयोग किया गया जो वर्ष 2015-16 की तुलना में 9.8% अंक की वृद्धि दर्शाता है।
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में संस्थागत प्रसव में भी वृद्धि (52.1% से बढ़कर 61.9%) देखी गई है।
- बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता: महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता व अखंडता (Bodily Autonomy and Integrity) और स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

नोट :

- मासिक धर्म संबंधी हाइजीन उत्पादों का उपयोग करने वाली महिलाओं (15-24 आयु वर्ग) के अनुपात में भी वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच लगभग 20% अंक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में 77.3% के स्तर पर पहुँच गया है।

- प्रौद्योगिकी और बैंकिंग संबंधित प्रगति: इसी अवधि में स्वयं के बैंक खाते रखने वाली महिलाओं के अनुपात में 25.6% की वृद्धि हुई है और यह 78.6% के स्तर पर पहुँच गया है।
  - लगभग 54% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है और प्रत्येक तीन में से लगभग एक महिला इंटरनेट का उपयोग कर रही है।

NFHS 5 के महिला-विशिष्ट निष्कर्ष: नकारात्मक पक्ष

- कुछ राज्यों में संस्थागत प्रसव का निम्न स्तर: सर्वेक्षण इस चिंताजनक आँकड़े को भी दर्शाता है कि 11% गर्भवती महिलाओं तक अभी भी या तो कुशल जन्म परिचारिका की पहुँच नहीं है या वे संस्थागत सुविधाओं तक पहुँच नहीं रखती हैं।
  - आगे और विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 49 ज़िलों में संस्थागत प्रसव दर 70% से कम है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई (69%) पाँच राज्यों (नगालैंड, बिहार, मेघालय, झारखंड और उत्तर प्रदेश) से संबंधित हैं।
- किशोर गर्भावस्था: किशोर गर्भावस्था (Teenage Pregnancy) में मात्र 1% अंक की मामूली गिरावट आई है और सर्वेक्षण अवधि के दौरान 15-19 आयु वर्ग की 7.9% महिलाएँ माता बन चुकी थीं या गर्भवती थीं।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की निम्न अभिगम्यता: वर्तमान में महिला आबादी का एक अत्यंत छोटा खंड ही सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग परीक्षण (1.9%) और स्तन परीक्षण (0.9%) जैसी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी शृंखला तक पहुँच रखता है।
- बाल विवाह में नगण्य गिरावट: बाल विवाह का प्रचलन कम तो हुआ है लेकिन वर्ष 2015-16 में 26.8% से 2019-21 में 23.3% तक इसमें नगण्य गिरावट ही दर्ज हुई है। तीन में से एक महिला को अपने जीवनसाथी की ओर से हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- निम्न आर्थिक योगदान: अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम बनी हुई है (केवल 25.6% महिलाएँ वैतनिक रोज़गार में संलग्न हैं और उनकी संख्या में 0.8% अंक की मामूली वृद्धि ही दर्ज हुई)।
  - महिलाएँ अभी भी अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य का बोझ उठाती हैं, जिससे लाभकारी रोज़गार तक पहुँचने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

आगे की राह

- व्यापक लैंगिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना: सर्वेक्षण से सामने आए समस्याजनक पहलुओं को देखते हुए स्कूल और स्कूल से बाहर के किशोरों दोनों के लिये जीवन-कौशल शिक्षा के एक प्रमुख घटक के रूप में व्यापक लैंगिक शिक्षा (Comprehensive Sexuality Education- CSE) में निवेश करने और गुणवत्तापूर्ण यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट और स्तन जाँच जैसी सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को संबोधित करना: महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके लिये लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु बाल विवाह एवं पक्षपातपूर्ण लिंग चयन जैसी कुप्रथाओं को संबोधित किया जाना अपरिहार्य है।
  - असमान शक्ति संबंधों, संरचनात्मक असमानताओं व भेदभावपूर्ण मानदंडों, दृष्टिकोणों व व्यवहार में परिवर्तन के लिये महिलाओं और बालिकाओं के महत्त्व में वृद्धि लाये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके साथ ही, सकारात्मक पौरुष और लिंग-समानता मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये पुरुषों और लड़कों के साथ विशेष रूप से उनके आरंभिक वर्षों में संलग्न होना महत्त्वपूर्ण है।
- महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना: अगले कुछ वर्षों में मोबाइल प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, शिक्षा और महिला आर्थिक सशक्तिकरण का संयोजन अनौपचारिक भेदभावपूर्ण मानदंडों को संबोधित कर सकने लिये महत्त्वपूर्ण चालक होगा।
  - यद्यपि मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, फिर भी यह पुरुषों की तुलना में अभी कम ही है।

नोट :

- महिलाओं के बीच ऐसी सुविधाओं के उपयोग की जानकारी और प्रसार पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिये क्योंकि ऐसे संसाधनों की उपलब्धता तथाउपयोग भी महिलाओं के सशक्तीकरण का एक संकेतक है।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एकीकृत प्रयास: NFHS के निष्कर्ष बालिकाओं की शिक्षा में मौजूद अंतराल को समाप्त करने और महिलाओं की बदतर स्वास्थ्य स्थिति को दूर करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
  - इन सेवाओं को सुलभ, वहनीय और स्वीकार्य बनाने के लिये (विशेष रूप से उनके लिये जो इन तक पहुँच में सक्षम नहीं हैं) सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य भागीदारों की ओर से एकीकृत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वांछित परिवर्तन लाने के लिये विभिन्न हितधारकों के बीच अभिसरण महत्त्वपूर्ण है। लिंग-आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को संपोषित करने वाले भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को सख्ती से और संयुक्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिये और महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसरों एवं स्वायत्तता का प्रयोग कर सकने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।

विवाह हेतु कानूनी आयु में बढ़ोतरी

संदर्भ

पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव निश्चित रूप से 'सतत् विकास लक्ष्य-5' को साकार करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, जहाँ राष्ट्र-राज्यों से लैंगिक समानता की प्राप्ति हेतु नीति-निर्माण की अपेक्षा की गई है।

लेकिन केवल अच्छा इरादा ही अनुकूल परिणामों की गारंटी तो नहीं देता। व्यापक सामाजिक समर्थन के बिना लागू किये गए कानून प्राय: अपने उद्देश्यों की पूर्ति में तब भी विफल सिद्ध होते हैं जब उनके घोषित उद्देश्य और तर्क व्यापक सार्वजनिक भलाई का लक्ष्य रखते हों।

भारत और न्यूनतम विवाह योग्य आयु

- वर्तमान कानून: हिंदुओं के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 विवाह हेतु लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
  - इस्लाम में यौवन (Puberty) प्राप्त कर चुके नाबालिग के विवाह को वैध माना जाता है।
  - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिये क्रमश: 18 और 21 वर्ष की आयु को विवाह हेतु न्यूनतम आयु के रूप में निर्धारित करता है।
- लिंग अंतराल को कम करने हेतु भारत के प्रयास: भारत ने वर्ष 1993 में 'महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन' (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) की पुष्टि की थी।
  - इस कन्वेंशन का अनुच्छेद-16 बाल विवाह का कठोरता से निषेध करता है और सरकारों से महिलाओं के लिये न्यूनतम विवाह आयु का निर्धारण करने एवं उन्हें लागू करने की अपेक्षा करता है।
  - वर्ष 1998 से भारत ने विशेष रूप से मानव अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन किया है, जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- न्यूनतम आयु निर्धारित करने के कारण: कानून द्वारा विशेष रूप से बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित करने और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिये विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।
  - बाल विवाह महिलाओं को अल्पायु गर्भावस्था (Early pregnancy), कुपोषण और हिंसा (मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक) का शिकार बनाता है।
  - अल्पायु गर्भावस्था बाल मृत्यु दर में वृद्धि के साथ भी संबद्ध है और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

नोट :

विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क

- बुनियादी अधिकारों का संरक्षण: अल्पायु विवाह और बाल विवाह के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा वस्तुत: उनके बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा है और यह महत्त्वपूर्ण कदम देश की आधी आबादी के लिये व्यापक अधिकार-आधारित ढाँचा प्रदान करने हेतु संबंधित विधायी ढाँचे में परिवर्तन को बल देगा।
- लिंग समानता लाना: विशेष विवाह अधिनियम की धारा 2(a) महिलाओं के लिये 18 वर्ष जबकि पुरुषों के लिये 21 वर्ष की विवाह योग्य कानूनी आयु घोषित करती है, लेकिन यह भेद रखने का कोई उचित तर्क मौजूद नहीं है।
  - जब पुरुषों और महिलाओं के लिये मतदान करने की आयु समान हो सकती है, उनके लिये सहमति, स्वेच्छा और वैध रूप से किसी अनुबंध में प्रवेश करने की आयु भी समान है, तो फिर विवाह के लिये समान आयु क्यों नहीं निर्धारित की जा सकती।
- समान कानूनों से समानता की उत्पत्ति: समान कानूनों से समानता की उत्पत्ति होती है और सामाजिक परिवर्तन कानूनों के पूर्ववर्ती और उनके परिणाम दोनों ही होते हैं।
  - प्रगतिशील समाजों में कानून में परिवर्तन सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन लाने की भी वृहत संभावना रखता है।
- महिला सशक्तीकरण को सबल करना: महिलाओं के विकास के कई संकेतक होते हैं जिनमें उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में वृद्धि एक प्रमुख संकेतक है।
  - इसके अलावा, उज्ज्वला, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जन-धन योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सबसे बड़े वर्ग के रूप में प्रकट किया है।
  - विवाह योग्य आयु में समानता के प्रवेश से महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा मिलेगा।

विवाह योग्य कानूनी आयु बढ़ाने के विपक्ष में तर्क

- आर्थिक रूप से आश्रित महिलाओं को लाभ की संभावना नहीं: विवाह योग्य कानूनी आयु में वृद्धि का उद्देश्य भावना के स्तर पर तो अच्छा दिखता है, लेकिन सामाजिक जागरूकता में वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार किये बिना यह महिलाओं को अधिक लाभ नहीं दे सकेगा। वस्तुस्थिति यह है कि युवा महिलाएँ अभी तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं सबल नहीं हो सकी हैं और पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव में रहते हुए अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपभोग करने में असमर्थ हैं।
- कड़े कानूनों के बावजूद बाल विवाह का उच्च प्रचलन: 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर निषेध रखने वाला कानून किसी-न-किसी रूप में 1900 के दशक से ही प्रवर्तित रहा है, फिर भी वर्ष 2005 तक बाल विवाह पर लगभग कोई रोक नहीं लगी थी और 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं में से लगभग आधी महिलाओं का विवाह न्यूनतम कानूनी आयु से पहले हो गया था।
- अल्पायु विवाह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: भले ही प्रत्येक पाँच में से एक विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले संपन्न हुआ हो, लेकिन देश के आपराधिक रिकॉर्ड में अधिनियम के उल्लंघन का कोई उल्लेख शायद ही प्रकट हुआ हो।
- बाल विवाह के उन्मूलन का कोई आश्वासन नहीं: प्रभावित होने वाली विवाह योग्य आयु की महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है, जिनमें से 60% से अधिक का 21 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है।
  - 18 वर्ष की आयु से पहले महिलाओं के विवाह का उन्मूलन कर सकने की असमर्थता इस बात का कोई आश्वासन नहीं देती कि इस आयु को बढ़ाकर 21 किये जाने से अल्पायु विवाह का उन्मूलन हो सकेगा।
- माता-पिता द्वारा कानूनों का दुरुपयोग: महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं के अनुसार माता-पिता प्राय: इस अधिनियम का दुरूपयोग अपनी इच्छा से विवाह करने वाली या बलात विवाह, घरेलू हिंसा और शिक्षा सुविधाओं के अभाव से बचने के लिये भाग जाने वाली अपनी बेटियों को दंडित करने के लिये करते हैं।
  - इस प्रकार, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अधिक संभावना यह है कि आयु सीमा में परिवर्तन से युवा वयस्कों पर माता-पिता की अधिकारिता में और वृद्धि ही होगी।

आगे की राह

- वस्तुनिष्ठ समानता सुनिश्चित करना: जैविक, सामाजिक या डेटा एवं शोध-आधारित—कोई भी तर्क वैध विवाह में प्रवेश करने हेतु पुरुषों और महिलाओं के बीच आयु में असमानता को उचित नहीं ठहरा सकता है।

नोट :

- भारत ने वर्ष 1954 में विशेष विवाह अधिनियम के साथ निर्णय लिया था कि आयु एक वैध विवाह की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक होनी चाहिये। इस संबंध में समानता का नहीं होना एकमात्र दोष था जिसे अब बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 में संशोधन के माध्यम से दूर किया जा रहा है।

- वंचित महिलाओं का सशक्तीकरण: वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उनके प्रजनन अधिकारों का सम्मान किया जाना और अल्पायु विवाह की शिकार महिलाओं की बुनियादी संरचनात्मक वंचनाओं को दूर करने हेतु अधिकाधिक निवेश सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
  - सरकार को समानता के मुद्दों को संबोधित करने में भी अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। उसे ऐसे उपाय करने होंगे जो वंचितों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाए, उन्हें कॅरियर परामर्श प्रदान करे और कौशल एवं जॉब प्लेसमेंट को प्रोत्साहित करे।
    - सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के विषय को भी संबोधित करने की ज़रूरत है।
  - माता-पिता में व्यवहार परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि वे ही अंतत: अधिकांश महिलाओं के लिये विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं।
- महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना: घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक अच्छा (किंतु कठिन) तरीका यह होगा कि बालिकाओं को अल्पायु गर्भधारण के खतरों के प्रति जागरूक बनाया जाए और उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार हेतु तंत्र प्रदान किया जाए।
  - महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बालिकाएँ स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लिये बाध्य न की जाएँ।

दृष्टि The Vision

नोट :